(27)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30/2018 प्रा.पत्र/2018	13.04.2018	08.01.2026
जीसीएमएस–54/2018		

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार पुराने बस स्टैण्ड के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0)
2– मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार पुराने बस स्टैण्ड के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0)
3–श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स तिवाड़ी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0।
4– मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0।
5–श्री बाबू लाल शर्मा नॉमिनी मैसर्स मणि शंकर ऑयल प्रा0 लि0 34, श्याम कुन्ज हाथी बाबू का बाग जयपुर राज0 पिनकोड–302006
6–मैसर्स मणि शंकर ऑयल प्रा0 लि0 34, श्याम कुन्ज हाथी बाबू का बाग जयपुर राज0। पिनकोड–302006

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पैरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री विजेन्द्र गोयल एड.
व निर्माता फर्म के नॉमिनी श्री बाबू लाल शर्मा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 08.1.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.10.2017 को समय सांय 04:11 पर मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार पुराना बस स्टैण्ड के पास डिग्गी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार पुराने बस स्टैण्ड के पास डिग्गी जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री हुकुम चन्द जैन की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, चीनी मसाले पैंकिग अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ 200–200 मिली0 की 60 प्लास्टिक मूल पैक बोतल दुकान में पेपर कार्टून में **सरसों तेल कबीरा कच्ची घाणी प्रीमियम मूल पैक (Mustard Oil Kabira Kachhi Ghaani Origional Pack)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(२४)

देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में रखे हुए 60 प्लास्टिक बोतलों मूल पैक के पेपर कार्टून को खोलकर में से 200–200 मिली प्लास्टिक बोतल मूल पैक के **सरसों तेल कबीरा कच्ची घाणी प्रीमियम मूल पैक (Mustard Oil Kabira Kachhi Ghaani Origional Pack)** में से 8 नग प्लास्टिक मूल पैक कुल 1600 ग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल कबीरा कच्ची घाणी प्रीमियम मूल पैक (Mustard Oil Kabira Kachhi Ghaani Origional Pack)** 1600 ग्राम (200–200 मिली प्लास्टिक बोतल मूल पैक के 8 नग प्लास्टिक बोतल मूल पैक) 200–200 मिली की दो–दो बोतलों अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के चोकोर डिब्बों में अलग–अलग 200–200 ग्राम रखकर चारों डिब्बों को ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1740 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1740 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन मैसर्स हुकुम चन्द अंकित कुमार पुराने बस स्टैण्ड के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का एवं मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने बतोर वारन्टी मैसर्स मणि शंकर ऑयल प्रा0 लि0 34, श्याम कुन्ज हाथी बाबू का बाग जयपुर राज का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/4470 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0सु0मा0 प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0एस0/631/एक्ट/2017/631 दिनांक 16.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सरसों तेल कबीरा कच्ची घाणी प्रीमियम मूल पैक (Mustard Oil Kabira Kachhi Ghaani Origional Pack)** एफ.एस.एस.ए धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के नॉमिनी श्री बाबूलाल शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की, बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल कबीरा कच्ची घाणी प्रीमियम मूल पैक (Mustard Oil Kabira Kachhi Ghaani Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने निर्माता फर्म के नॉमिनी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल कबीरा कच्ची घाणी प्रीमियम मूल पैक (Mustard Oil Kabira Kachhi Ghaani Origional Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.1.26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक